POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2015-17 (RNI. REG. NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2015/अंक 07

मासिक प्रेषण दि. 8 जुलाई, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 जुलाई, 2015 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम ! मेरा यह अनुभव रहा है कि लोकतंत्र में जो सरकारें बनती हैं, चाहे किसी भी दल की क्यों न हों, अच्छी होती हैं। क्योंकि उन्हें हम चुनते हैं। चाहे केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकारें जन हित में और देश के विकास के लिए नीतियां बनाती हैं और योजनाओं का निर्माण करती हैं।

इन नीतियों व योजनाओं निर्माण में सरकार द्वारा बाहर से सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञों, विचारकों, नीति निर्माताओं और स्वयंसेवी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाता है। आमजन से मिले सुझावों पर भी गौर किया जाता है।

हर सरकार के सामने सबसे बड़ी दिक्कत इन नीतियों और योजनाओं के सही रूप से क्रियान्वयन की आती है। जनतांत्रिक मूल्यों का पतन इसमें सबसे बड़ी बाधा है। विपक्षी दल कई अच्छी योजनाओं के विरोध में खड़े दिखाई देने लगते हैं।

सरकारी तंत्र में लालफीताशाही और निजी स्वार्थों के चलते योजनाओं के क्रियान्वयन में आई शिथिलता से उनके लाभ समय पर आमजन तक नहीं पहुंचते। सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी सभी को खलती रही है। इसके लिए प्रशासनिक सुधार आवश्यक है।

मेरा मानना है कि सरकार के लिए नीतियों व योजनाओं के सही क्रियान्वयन व उसमें नवीनीकरण लाने के लिए संस्थागत बहस एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए।

उपभोक्ता संरक्षण कानून में होगा संशोधन: बन्द होंगे भ्रामक विज्ञापन

यह तेल लगाने से गंजे सिर पर बाल उग जाएंगे, इस कैप्सूल को खाने से मोटापा कम हो जाएगा। लोगों को बरगलाने वाले ऐसे विज्ञापन अब बन्द होंगे। सरकार इन पर रोक लगाने के लिए इसी मानसून सत्र के दौरान उपभोक्ता संरक्षण कानून में संशोधन का प्रस्ताव लाएगी।

कानून में यह होंगे बदलाव

- *जुर्माना बढ़ेगा। जिला स्तर पर एक करोड़, राज्य स्तर पर 10 करोड़ व राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग 100 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा सकेगा।*
- *ई-कॉमर्स मामले देखने के लिए नए कानून में व्यवस्था होगी।*
- *उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण मौजूदा फोरम से अलग होगा। वह किसी भी मामले में स्वतः संज्ञान ले सकेगा तथा कार्रवाई कर सकेगा।*

खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सरकार केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण भी बनाने जा रही है। ताकि सही तरीके से निगरानी की जा सके। सरकार ने मैगी मामला भी भ्रामक विज्ञापन के चलते कार्रवाई के लिए केन्द्रीय उपभोक्ता आयोग को सौंपा है।

उन्होंने कहा कि अभी तक फूड सेफ्टी एजेंसी तभी कार्रवाई करती थी जब कोई शिकायत करे। अब इसे पॉवरफुल बनाया जा रहा है, वह अब कभी भी बिना शिकायत के खाद्य सामग्री के किसी भी मामले में जांच कर कार्रवाई कर सकेगी।

रेस्टोरेंट को भारी पड़ा आलू टिकिया के 50 पैसे ज्यादा लेना

जयपुर निवासी निशा ने अगस्त 2012 में मैक डोनाल्ड फैमिली रेस्टोरेंट से आलू की तीन टिकिया वेट सहित 85 रुपए 50 पैसे में खरीदी। रेस्टोरेंट ने 50 पैसे को राउंड कर 86 रुपए का बिल बनाकर उनसे राशि वसूल ली। निशा ने उपभोक्ता मंच जयपुर में रेस्टोरेंट के खिलाफ 50 पैसे अधिक वसूलने का परिवाद दर्ज कराया। मामले की सुनवाई पर रेस्टोरेंट की ओर से जवाब में कहा गया कि रिजर्व बैंक ने 50 पैसे या इससे ज्यादा को पूरे रुपए में मानने व 50 पैसे से कम राशि को इग्नोर करने के लिए कहा हुआ है।

रेस्टोरेंट की ओर से दिए इस तर्क को मंच ने उचित नहीं मानते हुए कहा कि 50 पैसे नहीं थे तो उपभोक्ता से 50 पैसे छोड़कर 85 रुपए ही वसूलने चाहिए थे। ऐसा न जाने रेस्टोरेंट ने कितने बिलों में किया होगा। मंच ने इसे अनुचित ट्रेड प्रेक्टिस माना और मैक डोनाल्ड रेस्टोरेंट पर 55 हजार रुपए का हर्जाना लगाया। इसमें से 25 हजार रुपए उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा कराए जाएंगे और 30 हजार रुपए हर्जाना व परिवाद खर्च स्वरूप उपभोक्ता निशा को अदा करने होंगे। साथ ही मंच ने ज्यादा वसूले 50 पैसे लौटाने व उस पर अगस्त 2012 से भुगतान करने तक 10 फीसदी ब्याज भी अदा करने के निर्देश दिए हैं।

जिलों में खुलेंगे योग अस्पताल

प्रदेश में सरकारी स्तर पर योग चिकित्सा भी शुरू होने जा रही है। इसके लिए जिलों में योग चिकित्सालय खुलेंगे। वर्तमान में जिलों में खुले आयुर्वेद जिला अस्पतालों के परिसर में ही योगा के चिकित्सालय शुरू किए जाने की योजना है।

शुरुआत में हर योग चिकित्सालय में एक योगा का डॉक्टर, एक आयुर्वेद विभाग से प्रतिनियुक्ति पर कम्पाउन्डर व एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रखा जाएगा। योग चिकित्सालयों को आयुर्वेद के अधीन रखा गया है। इसलिए इनके भवन आयुर्वेद चिकित्सालय के परिसर में बनाए जा रहे हैं। भवन निर्माण की योजना तैयार की जा चुकी है। इन चिकित्सालयों में विभिन्न योगाभ्यास के द्वारा अनेक गंभीर बीमारियों का भी इलाज किया जा सकेगा।

जरूरी है जन-धन खातों में लेन-देन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी जन-धन योजना के तहत करोड़ों खाते खुल चुके हैं। इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए दुर्घटना बीमा और जीवन बीमा के साथ-साथ ओवर ड्राफ्ट की सुविधा भी दी गई है। इन खातों के माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं के हितलाभों व सरकारी सब्सिडी का नकद हस्तान्तरण भी शामिल है। खाते में जमा राशि पर ब्याज मिलता है।

बैंक आंकड़ों से यह सामने आया है कि 53 फीसदी खाता धारक खाते से लेन-देन नहीं कर रहे हैं। ऐसा ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है। गांवों के कम शिक्षित लोग बैंकों की कागजी कार्रवाई से बचना चाहते हैं। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए खाते से लेन-देन होना जरूरी है। इस बारे में लोगों को जागरूक करना आवश्यक है।

प्रदेश में 90 लाख परिवार गरीब

प्रदेश में करीब तीन चौथाई यानी 90 लाख परिवारों की सालाना आमदनी एक लाख रुपए से कम है और वे गरीब हैं। इन 90 लाख परिवारों में से 70 लाख ग्रामीण तथा 20 लाख शहरी क्षेत्र से हैं। इन परिवारों में 21 लाख बीपीएल श्रेणी में है। गरीब परिवारों में 51 फीसदी परिवार कृषि पर निर्भर है।

हाल ही गरीबी उन्मूलन को लेकर बनाई गई नीति आयोग से जुड़ी राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की पहली बैठक में यह सामने आया है। नीति आयोग चाहता है कि गरीब परिवारों की संख्या जो अभी 75 फीसदी के करीब है वह 40 फीसदी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मद्देनजर नीति आयोग ने गरीब परिवारों को समृद्ध बनाने के लिए राज्यों से सुझाव मांगे हैं। जल्द ही राज्य सरकार इस बारे में रिपोर्ट केन्द्र को भिजवाएगी।

बीमा योजनाओं की तिथि बढ़ाई

केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा तथा अटल पेंशन योजना का लाभ अब 31 अगस्त तक उठाया जा सकता है। पहले यह योजना 31 मई तक थी।

इन योजनाओं से जो भी व्यक्ति जुड़ना चाहते हैं, उनको 31 अगस्त तक किसी तरह का मेडिकल सर्टिफिकेट या डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है। इन योजनाओं के लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति अपने बैंक से संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

गरीबों को 4 फीसदी पर होम लोन

केन्द्र सरकार ने '2022 तक सबके लिए आवास' मिशन को मंजूरी दे दी है। सस्ते घरों को बढ़ावा देने के लिए शहरी गरीबों की ब्याज सब्सिडी बढ़ाकर 6.50 फीसदी करने का फैसला किया गया है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के लोगों को चार फीसदी दर पर होम लोन मिल सकेगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। मिशन के तहत अगले सात साल में दो करोड़ घर बनाने का लक्ष्य है। बनने वाले मकान की रजिस्ट्री परिवार की महिला मुखिया या पति-पत्नी दोनों के नाम से हो सकेगी। यानी पुरुष सिर्फ अपने नाम पर रजिस्ट्री नहीं करवा सकेंगे।

मुफ्त मिलेगा स्वास्थ्य बीमा

राज्य सरकार प्रदेश में जल्द ही स्वास्थ्य बीमा योजना लाएगी। योजना के तहत एक करोड़ परिवारों को तीन लाख रुपए तक की मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा मुहैया कराई जाएगी।

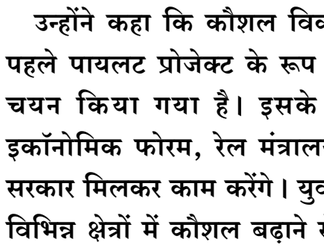

योजना के दायरे में प्रदेश का हर व्यक्ति शामिल होगा। सरकार हर परिवार को यूनिट मानते हुए बीमा कंपनियों को प्रति परिवार 395 रुपए बतौर प्रीमियम चुकाएगी। इसमें मेडिकल इमरजेंसी के समय साधारण ऑपरेशन के लिए 30 हजार रुपए और कठिन ऑपरेशन केस में 3 लाख रुपए तक का मेडिकल कवर होगा।

सरकार हर परिवार को हैल्थ कार्ड देगी। उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा बजट में घोषित यह योजना अक्टूबर के अंत तक लागू हो जाएगी।

कौशल व आजीविका को अहमियत

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के समग्र विकास के लिए कौशल व आजीविका विकास को सर्वोच्च अहमियत दे रही है। इसे बड़े पैमाने पर क्रियान्वित करने के लिए तेजी से प्रयास किए जा रहे है। राज्य में 15 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने कहा कि कौशल विकास के लिए पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कोटा का चयन किया गया है। इसके लिए वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरम, रेल मंत्रालय और राज्य सरकार मिलकर काम करेंगे। युवाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कौशल बढ़ाने से उनके लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।

न्याय आपके द्वार से मिली राहत

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के निर्देश पर शुरू हुए न्याय आपके द्वार अभियान में कई पीढ़ियों पुराने मामलों का निपटारा हो रहा है। इससे लोगों को बड़ी राहत मिल रही है।

राज्य में पहली बार 18 मई से शुरू हुए इस अभियान के तहत लगाई जा रही राजस्व लोक अदालतों ने 10 जून तक मात्र 24 दिनों में 5 लाख 33 हजार 299 मामलों का निपटारा कर लोगों को राहत पहुंचाई है। रोजाना करीब 22 हजार मामले सुलझ रहे हैं।

इससे राजस्व अदालतों में लंबित मामलों का बोझ कम हुआ है। इनमें ज्यादातर मामले नामान्तरण, राजस्व नकल एवं राजस्व नकल में दुरुस्ती के हैं। इसके अलावा खाता विभाजन, खातेदारी अधिकार व पत्थरगढ़ी जैसे मामलों को भी सुलझाया जा रहा है।

जेब पर करंट?

गरीब और मध्यम वर्ग महंगाई की मार से पिसा जा रहा है। ऊपर से बिजली की दरों में की गई बढ़ोतरी ने तो उनकी कमर ही तोड़ दी है। कहा यह जाता है कि कंपनियों का घाटा बढ़ रहा है? कंपनियों की लापरवाही व कुप्रबंधन से हो रही बिजली छीजत और चोरी का खामियाजा भी उपभोक्ताओं को उठाना पड़ रहा है।

आए दिन होने वाली मनमर्जी की बिजली कटौति ने शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं की नींद हराम कर दी है। ढ़ाणी, गांव हो या कस्बा, प्रदेश के हर हिस्से में बिजली कटौति हो रही है। एक और बिना गुणवत्ता की बिजली ऊपर से उपभोक्ताओं की जेब पर करंट? क्या इसे व्यवहारिक कहा जा सकता है?

- रामस्वरूप पुरोहित, जोधपुर

दूसरे लोग ले जा रहे एलईडी बल्ब

एलईडी वितरण में गड़बड़ी की शिकायतें आने लगी है। असली उपभोक्ताओं के वितरण काउंटरों पर पहुंचने से पहले ही दूसरे लोग उनके हिस्से की एलईडी ले जा रहे हैं। उपभोक्ताओं ने बिजली इंजीनियरों व काउंटरों पर इसकी शिकायत भी की लेकिन कोई नहीं सुन रहा।

दरअसल, डिस्कॉम व एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस कंपनी ने यह काम वक्रांगी नामक प्राईवेट कंपनी को दिया है। काउंटर से किराएदार मूल बिल दिखा कर एलईडी ले गए। उनका कहना है कि आगे से छानबीन करके ही बल्ब दिए जाएंगे। हालांकि शिकायत पर असली उपभोक्ता को भी एलईडी दिलवा दी गई है।

छात्राओं को मुफ्त सेनेटरी नेपकीन

प्रदेश में सरकार की ओर से कक्षा 9 से 12 तक की राजकीय विद्यालयों की छात्राओं एवं बीपीएल परिवार की बालिकाओं को मुफ्त सेनेटरी नेपकिन दिए जाएंगे। इसकी शुरुआत 11 जुलाई से होगी।

चिकित्सा मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 16 लाख बालिकाओं और बीपीएल परिवारों की स्कूल नहीं जाने वाली करीब चार लाख बालिकाओं को प्रतिमाह 10-10 सेनेटरी नेपकीन का पैकेट उपलब्ध कराया जाएगा। नेपकीन वितरण संबंधित विद्यालयों व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से होगा।

फर्जी मार्कशीट तो सरपंच अयोग्य

प्रदेश में पंचायती राज चुनाव में सरपंच के लिए आठवीं पास होना जरूरी था। बावजूद इसके जिन सरपंचों ने फर्जी मार्कशीट लगाकर चुनाव जीता है, सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें सरपंच पद से हटाएगी।

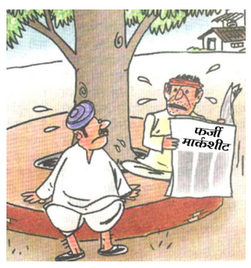

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री सुरेंद्र गोयल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेशभर में मिली ऐसी शिकायतों की जांच चल रही है। जांच रिपोर्ट मिलते ही सरकार धारा 38 के तहत ऐसे सरपंचों को अयोग्य घोषित करेगी। उन्होंने बताया कि ग्रामसेवकों समेत अन्य खाली पदों पर भी जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कटूस', जयपुर